

## उत्तर प्रदेश छठा वेतन आयोग

के अन्तर्गत अनुमन्य हो चुका है, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 02 वर्ष की सेवा अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम प्रोत्तीय पद/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(2) ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रु० 2000 को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रु० 1900 का अगला ग्रेड वेतन रु० 2400 माना जायेगा। उक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 का प्रस्तर-1(3) इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

(3) ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु नॉन फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन को इग्नोर किया जायेगा। अतः शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर-1 (2) (ii) को विलुप्त माना जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

भवदीया,  
(वृन्दा सर्लप), प्रमुख सचिव।

०००

## ए०सी०पी० की व्यवस्था के संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में

संख्या—व०आ०—२—२१०४/दस—६२ (एम) २००८ टी०सी०

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,  
प्रमुख सचिव,,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव; उ०प्र० शासन।  
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं  
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

दित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—२

लखनऊ : दिनांक : २२ दिसम्बर, २०११

विषय :— वेतन समिति (२००८) की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्ट्रयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था के संशोधन/स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

वेतन समिति (२००८) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्ट्रयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था का प्राविधान शासनादेश संख्या—व०आ०—२—५६१/दस—६२(एम)/२००८, दिनांक ०४ मई, २०१० द्वारा किया गया था। उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने में इंगित कठिनाइयों के निराकरण हेतु स्पष्टीकरण शासनादेश संख्या—व०आ०—२—३०१२/दस—६२(एम)/२००८, दिनांक २९ सितम्बर, २०१० एवं शासनादेश संख्या व०आ०—२—७९८/दस—६२(एम)/२००८, दिनांक ३० मई, २०११ निर्गत किये गये हैं।

२. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मियों के लिये उपरोक्तानुसार लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्ट्रयन (ए०सी०पी०) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(१) राजकीय कर्मचारियों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत १०, १८ तथा २६ वर्ष की सेवा पर वित्तीय स्तरोन्त्रयन अनुमन्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के स्थान पर क्रमशः १०, १६ तथा २६ वर्ष की सेवा पर प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरोन्त्रयन के लाभ अनुमन्य कराये जायेंगे।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक ०४ मई, २०१० के प्रस्तर—१(२)(i)(ख) एवं प्रस्तर—३ (२) निम्नानुसार संशोधित माने जायेंगे:—

- (i) प्रथम वित्तीय स्तरोन्त्रयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में ०६ वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्त्रयन एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्त्रयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में १० वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा कुल २६ वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्त्रयन देय होगा। परन्तु यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्ट्रति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्त्रयन के पूर्व अथवा पश्चात प्राप्त होती है तो प्रोन्ट्रति की तिथि से ०६ वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्ट्रति के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्त्रयन के रूप में अनुमन्य होगा।
- (ii) ऐसे कार्मिक, जिन्हें १४ वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्ट्रतीय/अगला वेतनमान पूर्व व्यवस्था